



प. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र० 298 / विकास / निसू / 2017

07.10.17
रायपुर, दिनांक 07-10-2017

संक्षिप्त निविदा सूचना

विषय— विश्वविद्यालय परिसर में यूटिलिटी भवन में स्थित कक्ष क्रमांक 03 में शॉप संचालन करने हेतु।

वि.वि. परिसर में स्थित यूटिलिटी भवन में छात्रों की सुविधा हेतु प्रोविजन स्टोर, कम्प्यूटर टायपिंग सेंटर, स्टेशनरी, फोटोकापी सेंटर एवं साइबर कैफे आदि केन्द्रों का संचालन किया जाना है (आवश्यकता पड़ने पर परिसर स्थित अन्य भवनों में भी Photocopy Center स्थापित किया जायेगा)। इस हेतु उक्त भवन के कक्ष क्रमांक 03 को वि.वि. के शर्तों के अधीन संचालित करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों से एतद् द्वारा निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा की विस्तृत शर्तें एवं अन्य जानकारी वि.वि. के www.prssu.ac.in से प्राप्त किया जा सकता है।

1. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि — दिनांक 16.10.2017 अपराह्न 05:30 बजे तक (रजिस्टर्ड पोस्ट / स्पीड पोस्ट / कोरियर से)
2. निविदा खोलने की तिथि — दिनांक 17.10.2017 समय दोपहर 03.00 बजे अपराह्न



विकास विभाग

पं रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर छ.ग.
पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



क्र0 /विकास/निसू/2017

रायपुर, दिनांक 07-10-2017

विस्तृत निविदा सूचना

विषय— विश्वविद्यालय परिसर में यूटिलिटी भवन में स्थित कक्ष कमांक 03 में शॉप संचालन करने हेतु।

वि.वि. परिसर में स्थित यूटिलिटी भवन में छात्रों की सुविधा हेतु प्रोविजन स्टोर, कम्प्यूटर टायपिंग सेंटर, स्टेशनरी, फोटोकापी सेंटर एवं साइबर कैफे आदि केन्द्रों का संचालन किया जाना है (आवश्यकता पड़ने पर परिसर स्थित अन्य भवनों में भी Photocopy Center स्थापित किया जायेगा)। इस हेतु उक्त भवन के कक्ष कमांक 03 को वि.वि. के शर्तों के अधीन संचालित करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों से एतद् द्वारा निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा की विस्तृत शर्ते एवं अन्य जानकारी वि.वि. के www.prstu.ac.in से प्राप्त किया जा सकता है।

1. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि — दिनांक 16.10.2017 अपराह्न 05:30 बजे तक (रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट/कोरियर से)
2. निविदा खोलने की तिथि — दिनांक 17.10.2017 समय दोपहर 03.00 बजे अपराह्न

टीप :-

1. निविदा के अमानत राशि के रूप में ₹ 25,000=00 का डीडी संलग्न करना अनिवार्य है।
2. वेबसाइट से प्राप्त निविदा प्रपत्र ₹ 500/- का बैंक ड्राफ्ट कुलसचिव, पंरविशंकर शुक्ल विविदा, रायपुर के नाम से संलग्न करने पर ही मान्य होगा।

किराये पर दिये जाने वाले कक्ष का विवरण—

1. कक्ष कमांक 03 यूटिलिटी भवन, भारतीय स्टेट बैंक के वि.वि. परिसर स्थित शाखा एवं इंडियन कॉफी हाउस से लगा हुआ है। उक्त कक्ष पर साइबर कैफे, कम्प्यूटर टायपिंग एवं फोटो कॉफी मशीन के संचालन हेतु दिया जाना है।
2. सफल निविदा कर्ता को शॉप संचालन करने के पूर्व अनुबंध कराना होगा एवं सुरक्षा राशि (Security money) के रूप में ₹ 100000=00 (एक लाख) वि.वि. कोष में जमा करना होगा।
3. प्रत्येक कक्ष का ऑफसेट संचालित मूल्य ₹ 3000=00 प्रतिमाह न्यूनतम निर्धारित किया गया है। ₹ 3000=00 से अधिक दर प्रस्तुत करने वाले निविदा करता को कक्ष संचालित हेतु दिया जावेगा। सफल निविदा कर्ता के संचालन राशि में द्वितीय वर्ष में प्रचलित किराया दर पर 10 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में भी वृद्धि की जावेगी।

कुलसचिव



विकास प्रभाग

पं. रविशंकर शुक्ल वि. वि., रायपुर छ.ग.
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



विश्वविद्यालय परिसर में यूटिलिटी भवन में स्थित कक्ष क्रमांक 03 में शॉप संचालन करने हेतु पात्रता।

1. जिन फर्म/संचालक का पेन कार्ड प्रमाण पत्र (संलग्न करें) हो।
2. रु.25000=00 का डिमांड ड्राफ्ट कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर के नाम से संलग्न करें।
3. निविदा में सफल होने पर वि.वि. कोष में रु.100000=00 (एक लाख) अमानत राशि के रूप में जमा कर सके।



विकास विभाग

पं. रविशंकर शुक्ल वि. वि., रायपुर (छ.ग.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

—: विश्वविद्यालय परिसर में यूटिलिटी भवन में स्थित कक्ष कमांक 03 में शॉप संचालन करने हेतु:—

निविदा की प्रक्रिया

1. टेक्निकल बीड वाला लिफाफा जिसमें निम्नानुसार प्रमाण प्रत्र की छाया प्रति संलग्न करना होगा। लिफाफा नं. 1

- (1) निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र।
- (2) निविदा की अमानत राशि (Earnest Money) के रूप में रु.25,000/- (पच्चीस हजार) के डिमांड ड्रफ्ट में कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के नाम से बनाकर तैयार करना होगा।
- (3) पेन कार्ड की छायाप्रति।

2. वित्तीय दर वाला लिफाफा में प्रस्तुत किये जाने वाले दर सूची को संलग्न करना होगा जो दर वाला लिफाफा नं. 2 रहेगा

इच्छुक/पात्र व्यक्तियों द्वारा सील बंद लिफाफा नं. 1 एवं सील बंद लिफाफा नं. 2 दो दर वाला लिफाफा है दोनों को मिलाकर एक लिफाफा में कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के नाम से दिनांक 16.10.2017 तक रजिस्टर/स्पीड पोस्ट/कोरियर से भेजना होगा तथा लिफाफे के ऊपर किये जाने वाले कक्ष कमांक का उल्लेख करें।

3. निविदा प्रस्ताव में कक्ष क्र. 03 के लिये लिफाफा में स्पष्ट रूप से उल्लेख करे। निविदा प्रस्ताव Two bid system के तहत प्रस्तुत किये जायेंगे। निविदा प्रस्ताव के दो भाग होंगे तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड।

विकास विभाग

निविदा प्रपत्र के नियम एवं शर्तें :-

व. रविशंकर शुक्ल वि. वि., रायपुर ४५१००१

1. निविदा के साथ अमानत राशि के रूप में राशि रु.25,000/- (पच्चीस हजार मात्र) का डिमांड ड्रफ्ट, कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के नाम संलग्न करना होगा। डीडी के आभाव में निविदा मान्य नहीं होगी। पेन कर्ता की छायाप्रति संलग्न करे।
2. निविदा प्रपत्र पूर्ण कर सील बंद लिफाफे में रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) कार्यालय में दिनांक 16.10.2017 को समय ०६:३० बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। नियत समय सीमा समाप्ति के बाद प्राप्त निविदायें मान्य नहीं की जावेगी, समय सीमा में प्राप्त निविदाये दिनांक 17.10.2017 को 03:00 बजे विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत समिति के समक्ष खोली जावेगी।
3. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में माननीय कुलपति जी का निर्णय सर्वमान्य होगा।
4. किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अमान्य करने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।
5. वि.पि. प्रशासन द्वारा लिखित निर्देश दिये जाने पर परिसर स्थित अन्य भवनों में भी स्थीकृत दर पर फोटोकापी मशीन स्थापित करना होगा। ऐसे अतिरिक्त स्थापना हेतु स्थान निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा परन्तु बिजली, पानी व इंटरनेट इत्यादि की व्यवस्था निविदाकर को स्वयं करनी होगी।

उपरोक्त सभी नियमों एवं शर्तों का अवलोकन कर लिया है सभी नियम एवं शर्तें मुझे मान्य हैं।

हस्ताक्षर

फर्म का सील मोहर

नाम.....



विकास विभाग

पं. रविशंकर शुक्ल वि. वि., रायपुर (छ.ग.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

आवेदन पत्र का मूल्य रु.500=00

(विश्वविद्यालय परिसर में यूटिलिटी भवन में स्थित कक्ष क्रमांक 03 में शॉप संचालन करने हेतु निविदा
आवेदन पत्र)

1. फर्म /संचालक का पूरा नाम :
2. फर्म /संचालक का पूरा पता :
3. पेन कार्ड नम्बर (छायाप्रति संलग्न करें) :
4. फर्म द्वारा संलग्न अमानत राशि रु.25,000/- डीडी नंबर : दिनांक :

मैं निविदा की सभी शर्तों का पालन करने के लिये तैयार हूँ।

हस्ताक्षर

फर्म/व्यक्ति का नाम.....
फर्म/व्यक्ति का पता.....
मोबाइल नं.....



विकास विभाग

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



(विश्वविद्यालय परिसर में यूटिलिटी भवन में स्थित कक्ष क्र. 03 को वि.वि. अध्ययनशालाओं में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की सुविधा हेतु आवश्यक सामग्री एवं आवश्यक सेवा उपलब्ध कराने हेतु संचालित करने दिया जाना है। कृप्या इच्छुक फर्म/व्यक्ति नीचे दर्शित कॉलम के अनुसार दर प्रस्तुत करें।)

दर अनुसूची

(पूर्णरूप से भरकर लिफाफा नं. 02 के अंदर सील बंद करें)

S.N.	Particular's	Unit	Rate दर (अंको में)	Rate दर (शब्दों में)
01	कक्ष क्र. 03 (साइबर कैफे, कम्प्यूटर टायपिंग एवं फोटो कॉपी मशीन के संचालन हेतु)	प्रति माह किराया राशि (कक्ष का साईज 23X15)		

नोट :

- (1) दर सभी प्रकार के Tax को शामिल करते हुये उल्लेख करे।
- (2) सफल निविदा कर्ता को वि.वि. द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेज को प्राथमिकता देते हुए गोपनीय तरीके से फोटोकॉपी का कार्य करना होगा जिसके लिए A4 साईज हेतु ₹.0=50 पैसा प्रति पेज की दर वि.वि. द्वारा भुगतान किया जावेगा।

हस्ताक्षर
फर्म/व्यक्ति की सील :-
मोबाइल नं. :-
पता :-

विकास विभाग

अन्य शर्तें :

पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर छ.ग.

- (1) सफल निविदाकार को निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करने होंगे।
- (2) सफल निविदाकार को सुरक्षा राशि के रूप में ₹.100000=00(एक लाख) वि.वि. कोष में जमा करना होगा।
- (3) प्रत्येक वर्ष 10% संचालन राशि में वृद्धि किया जावेगा।
- (4) केन्द्र का संचालन का समय प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक।
अवकाश के दिन भी खुला रहेगा।
- (5) GST पंजीचन करा कर GST नम्बर वि.वि. में जमा करना होगा।
- (6) प्रत्येक सामग्रियों के दर की सूची चस्पा करना होगा।
- (7) विक्रय/कार्य किये गये सामग्रियों का बिल देना होगा।
- (8) बिजली के बिल का भुगतान दुकानदार स्वयं करेगा।
- (9) सफल निविदा कर्ता को श्रम कानून का पालन करना होगा।
- (10) साफ सफाई की व्यवस्था स्वयं करना होगा।
- (11) असमाजिक गतिविधिया नहीं करेगा।
- (12) बिना अनुमति के परिसर में कोई बोर्ड अथवा अन्य जगर बोर्ड नहीं लगाएगा।
- (13) वि.वि. द्वारा दिये गये निर्देश का पालन करना होगा।
- (14) निर्देश के उल्लंघन शर्तों का उल्लंघन माना जावें।
- (15) शर्तों के उल्लंघन पर सुरक्षा निधि राशि पूर्णरूप से राजसात किया जा सकता है।
- (16) शर्तों के उल्लंघन में अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
- (17) अनुबंध समाप्त होने पर एक सप्ताह के भीतर कक्ष खाली कर पूर्व अवस्था में वि.वि. प्रशासन को सौंपना होगा।
- (18) दी जा रही सेवाओं की कीमत बाजार दर के अनुरूप हो। बाजार दर से अधिक राशि की वसूली करने पर किये गये अनुबंध का उल्लंघन मान कर आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।
- (19) सफल निविदा कर्ता को संचालन अवधि के संबंध में बोर्ड लगाना होगा। बोर्ड का आकार एवं विषय वस्तु के संबंध में वि.वि. प्रशासन से अनुमोदन लेना होगा।
- (20) जिन फर्म/संचालक के पास शॉप चलाने हेतु रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र सफल निविदाकर्ता को जमा करना होगा।